सुख्यार वगै० बनाम सत्यनारायण वगै०

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

…त्र हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज दावा - रु० न० - 62/2014	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
…-4-18	… तारीख पेशी होने पर आज … पेश हुई। … नाथ फरिकेन … /पीठा. अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 19-7-18 को पेश हो। Vimla	
…18	राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार वर्ष-2018 श्रीमान संयुक्त शासन सचिव महो. राजस्व (ग्रुप-1) विभाग जयपुर के पत्रांक प.12 (15) … को पालना एवं श्रीमान जिला … निर्देशों की पालना में पत्रावली … 19-7-18 से तलब होकर आज पेश हुई। … पत्रावली लोक अदालत में सुनवाई हेतु रखी जाती है … अदालत/कैम्प कोर्ट स्थल अटल सेवा केन्द्र सिहोड़ी में दिनांक 22-5-18 को पत्रावली पेश हो। उक्त निर्धारित दिनांक एवं स्थल पर उपस्थित होने हेतु सम्बन्धित पक्षकारान को नोटिस जारी हो। Om-	
….2018	पत्रावली आज न्याय आपके द्वार अभियान-2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत के कैम्प-सिहोड़ी में पेश हुई। वादीगण में वादी अर्जुनलाल व गोकुलचन्द उपस्थित आये एंव प्रकरण के बहस में विचाराधीन होने से प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किये जाने का निवेदन वादीगण ने लोक अदालत में किया। वादीगण के निवेदन पर प्रकरण का अवलोकन किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व दस्तावेजात यथा जमाबन्दी सम्वत् 2017 से 2020, 2068 से 2071, मिलान क्षैत्रफल, खसरा गिरदावरीयॉ, मृत्यु प्रमाण पत्र मोतीलाल, आधार कार्ड फोटोप्रतियॉ किता-तीन व लगान की रसीदों व साक्ष्य वादीगण में पेश शपथ पत्रों इत्यादि का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम ढ़ाबावाली तहसील श्रीमाधोपुर के वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 161 रकबा 1.50 हैक्टर जिसके पुराने नम्बर 95 रकबा 6 बीघा थे। उक्त भूमि वादीगण की पैत्रृक मौरूसी भूमि है। जिस पर वादीगण अपने बुजुर्गान के समय से काबिज काश्त	अर्जुनलाल शर्मा गोकुलचन्द शर्मा

Scanned by CamScanner

[illegible] वगै0 बनाम् सत्यनारायण वगै0
दावा
मुकदमा नम्बर 62/2014 बी0टी0 नम्बर 402/2017

चले आ रहे है। प्रथम सैटलमेन्ट के समय उक्त भूमि की खातेदारी कर्त्ता खानदान व बड़ा भाई होने की वजह से अकेले हेमा पुत्र बद्री पिता प्रतिवादी नम्बर 1 के अकेले के नाम दर्ज हुई है। जो गलत है। खातेदार रामेश्वर पुत्र रूघा व उसके वारिसान् प्रतिवादीगण नम्बर 2 ता 5 का उक्त भूमि पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। केवल मात्र खातेदारी ही दर्ज चली आ रही है। वर्तमान में मौके पर 1/3 हिस्से को वादीगण, 1/3 हिस्से का प्रतिवादी नम्बर 1 व 1/3 हिस्से को खातेदार पूनम देवी पत्नि सॉवरमल काश्त करते है। खसरा नम्बर 161 के बीचों बीच दो बीघा भूमि पर वादीगण चारों ओर मिट्टी की कदीमी सींव से सुरक्षित कर चने की फसल काश्त कर रखी है। उक्त भूमि को वादीगण ने समतल कर उपजाऊ बनाया है। वादीगण उक्त भूमि पर वक्त बुजुर्गान से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। जिसका अंकन खसरा गिरदावरियों में भी है। वादीगण अपने कब्जे काश्त की भूमियों का खाता अपने नाम दर्ज कराने का वादीगण को पूर्ण अधिकार है। दिनांक 26.12.2013 को क्रेडिट कार्ड बनाने हेतु जमाबन्दी की नकल लेने पर उक्त भुमि की खातेदारी उनके पिता के नाम नहीं होने की जानकारी होने पर वादपत्र पेश किया गया है। खातेदार रामेश्वर पुत्र रूघा का देहान्त हो चूका है जिसके वारिस प्रतिवादीगण नम्बर 2 ता 5 है व खातेदार हेमा पुत्र बद्री का देहान्त होने से उसके वारिस प्रतिवादी नम्बर 1 बनाये गये है। वादीगण ने उक्त भूमि के 1/3 भाग की खातेदारी अपने नाम दर्ज कराने हेतु वादपत्र पेश किया गया है।

वादपत्र पेश होने पर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की गई। जिनमें प्रतिवादी न. 3 व 6 के हाजिर अदालत नहीं आने पर इनके विरूद्ध दिनांक 16.11.15 को एकपक्षीय कार्यवाही

Scanned by CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

सुण्डार वगै० बनाम सत्यनारायण वगै०
दावा
मुकदमा नम्बर 62/2014 टी०सी० नम्बर 402/2017

अमल में लाई गई तथा प्रतिवादी नम्बर 1, 2, 4 व 5 की तलबी जरिये रजिस्टर्ड डाक से करवाये जाने के उपरान्त भी हाजिर अदालत नहीं आने पर इनके विरूद्व दिनांक 07.11.2017 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर वादपत्र को साक्ष्य वादीगण में लिया गया। जिस पर वादपत्र के साक्ष्य में वादी अर्जुनलाल व गोपीचन्द का मुख्य परीक्षण में शपथ पत्र व वादीगण गवाह में भूपेन्द्र शर्मा व प्रहलाद राय शर्मा के लिखितशुदा शपथ पत्र वादपत्र के समर्थन में पेश किये गये। जिनमें वादीगण द्वारा पेश वादपत्र में अंकित तथ्यों को सही होना वादी गवाहान् ने अंकित किया है। वादीगण ने अपने वादपत्र के समर्थन में जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 प्रदर्श–1, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–2, खसरा गिरदावरी सम्वत् 2009 से 2012 प्रदर्श–3, खसरा गिरदावरी सम्वत् 2013 से 2016 प्रदर्श–4, खसरा गिरदावरी सम्वत् 2019 प्रदर्श–5, खसरा गिरदावरी सम्वत् 2031 से 2033 प्रदर्श–6, लगान रसीद कुल 11 प्रदर्श–7/1 से 7/11, मोतीलाल का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श– 8 ए. जमाबन्दी सम्वत् 2017 से 2020 पेश किये है। जिससे वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र की पुष्टि होती है एंव वादपत्र में अंकित तथ्यों को बल मिलता है।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रकरण राजस्व लोक अदालत में स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर लोक अदालत की भावना से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि ग्राम ढाबावाली तहसील श्रीमाधोपुर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 161 रकबा 1.50 हैक्टर में वादीगण को 1/3 हिस्सा बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त हिस्से से मृतक हेमा पुत्र बद्री पिता प्रतिवादी नम्बर 1 व मृतक रामेश्वर पुत्र रूघा का नाम हजफ किया जाता है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द

किया जाता है कि वे उक्त खसरा नम्बर में वादीगण के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत नहीं करें एंव ना ही दीगर से करावें। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की कार्यवाही की जावे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 22.05.2018 को न्याय आपके द्वार अभियान–2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत के कैम्प– सिहोड़ी के मजमे–ए–आम में सुनाया गया।

(ब्रह्मलाल जाट)
सहायक कलक्टर(फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर(सीकर)
कैम्पः– सिहोड़ी

Scanned by CamScanner